



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 679]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 22, 2018/फाल्गुन 3, 1939

No. 679]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 22, 2018/PHALGUNA 3, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2018

का.आ.771(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 133ग की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटिस जारी करने के लिए निम्नलिखित केंद्रीयकृत स्कीम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम केंद्रीयकृत संसूचना स्कीम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं—(1) इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,--

(क) “अधिनियम” से अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है;

(ख) “महानिदेशक” से अधिनियम की धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त और इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत आय-कर महानिदेशक अभिप्रेत है;

(ग) “प्रधान महानिदेशक” से आय-कर अधिनियम की धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त और इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रधान आय-कर महानिदेशक अभिप्रेत है;

(घ) “अभिहित प्राधिकारी” से अधिनियम की धारा 133ग की उपधारा (1) के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो केंद्रीयकृत संसूचना केंद्र का भारसाधक है;

(ङ) “पोर्टल” से केंद्रीयकृत संसूचना केंद्र का वेब पोर्टल अभिप्रेत है।

(2) शब्द और पद, जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम में है।

3. नोटिस जारी करना और तामील—(1) केंद्रीयकृत संसूचना केंद्र, किसी व्यक्ति को उसके कब्जे में सूचना के सत्यापन के प्रयोजन के लिए सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने के लिए नोटिस जारी करेगा।

(2) नोटिस अभिहित प्राधिकारी के डिजीटल हस्ताक्षर के अधीन जारी किया जाएगा।

(3) नोटिस की तामील, इलैक्ट्रानिक मेल, या पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत अकाउंट में एक प्रति रखकर, जिसके उपरांत संक्षिप्त संवाद सेवा द्वारा संसूचित करके की जाएगी।

(4) उप पैरा (1) के अधीन मांगी गई सूचना या दस्तावेज पैरा (4) में यथाविनिर्दिष्ट नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत किए जाएंगे।

(5) अभिहित प्राधिकारी इलैक्ट्रानिक मेल, संक्षिप्त संवाद सेवा, अनुस्मारक, पत्र भेजने और निर्गामी कॉलों के माध्यम से अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक सतत अभियान भी चलाएगा।

4. नोटिस का प्रत्युत्तर—(1) केंद्रीयकृत संसूचना केंद्र पैरा 3 के उपपैरा (1) के अधीन जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में व्यक्ति द्वारा सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए मशीन द्वारा पठनीय ढांचाकृत प्रारूप विहित कर सकेगा।

(2) प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) नोटिस का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानक विनिर्दिष्ट करेगा।

5. कोई वैयक्तिक उपस्थिति नहीं—केंद्रीयकृत संसूचना केंद्र में कार्यवाहियों के संबंध में अभिहित प्राधिकारी के समक्ष, किसी व्यक्ति से वैयक्तिक रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं होगी।

6. कार्यप्रणाली और प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करने की शक्ति—प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) केंद्रीयकृत संसूचना केंद्र के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर कार्य प्रणालियां और प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित विषय हैं, अर्थात् :--

- (क) नोटिस जारी करने के लिए प्रारूप और प्रक्रिया;
- (ख) नोटिस के प्रत्युत्तर में पाने वाले से किसी सूचना या दस्तावेज की प्राप्ति;
- (ग) पाने वाले द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर की अभिस्वीकृति जारी करने के लिए ढंग और प्रारूप;
- (घ) वेब पोर्टल सुविधा, जिसके अंतर्गत लॉगिन सुविधा, सत्यापन स्थिति ट्रैकिंग, सुसंगत ब्यौरों का प्रदर्शन और डाउनलोड करने की सुविधा का उपबंध, सम्मिलित है;
- (ङ) शंकाओं का उत्तर देने के लिए और समर्थन सेवा देने, जिसके अंतर्गत निर्गामी कॉल और सूचना या स्पष्टीकरण की ईप्सा करने के लिए आने वाली कॉल भी हैं, के लिए कॉल सेंटर;
- (च) प्राप्ति, स्कैनिंग, डाटा प्रविष्टि, भंडारण और सूचना और दस्तावेजों की केंद्रीयकृत रीति में पुनः प्राप्ति जैसे कृत्यों के लिए प्रशासन प्रबंधन;
- (छ) केंद्रीयकृत संसूचना केंद्र में शिकायत निवारण तंत्र।

[अधिसूचना सं. 12/2018 /फा.सं.. 370142/22/2017-टीपीएल]

नीरज कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department Of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd February, 2018

S.O. 771(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 133C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following scheme for centralised issuance of notice, namely:—

- 1. Short title and commencement-**(1) This scheme may be called the Centralised Communication Scheme, 2018.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.-** (1) In this scheme, unless the context otherwise requires,—
 - (a) “Act” means the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
 - (b) “Director General” means the Director General of Income-tax appointed under sub-section (1) of section 117 of the Act and authorised by the Board in this behalf;
 - (c) “Principal Director General” means the Principal Director General of Income-tax appointed under sub-section (1) of section 117 of the Act and authorised by the Board in this behalf;
 - (d) “Designated authority” means the income-tax authority prescribed under sub-section (1) of Section 133C of the Act who is in charge of the Centralised Communication Centre;
 - (e) “Portal” means the web portal of the Centralised Communication Centre.
 (2) The words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.
- 3. Issue and service of notice-** (1) The Centralised Communication Centre shall issue notice to any person requiring him to furnish information or documents for the purpose of verification of information in his possession.
(2) The notice shall be issued under digital signature of the designated authority.
(3) The notice shall be served by delivering a copy by electronic mail, or by placing a copy in the registered account on the portal followed by an intimation by Short Message Service.
(4) The information or documents called for under sub-paragraph (1) shall be furnished on or before the date specified in the notice as specified in paragraph 4.
(5) The designated authority shall also run sustained campaign to ensure compliance by way of sending electronic mails, Short Message Service, reminders, letters and outbound calls.
- 4. Response to notice-** (1) The Centralised Communication Centre may prescribe a machine readable structured format for furnishing the information or documents by the person in response to the notice issued under sub-paragraph (1) of paragraph 3.
(2) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedure, formats and standards for furnishing response to the notices.
- 5. No personal appearance-**No person shall be required to appear personally or through authorised representative before the designated authority at the Centralised Communication Centre in connection with any proceedings.
- 6. Power to specify procedure and processes-**(1) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems) shall specify from time to time, procedures and processes for effective functioning of the Centralised Communication Centre, including the following matters, namely:-
 - (a) format and procedure for issue of notice;
 - (b) receipt of any information or document from the addressee in response to notice;
 - (c) mode and format for issue of acknowledgment of the response furnished by the addressee;

- (d) provision of web portal facility including login facility, tracking status of verification, display of relevant details, and facility of download;
- (e) call centre to answer queries and provide support services, including outbound calls and inbound calls seeking information or clarification;
- (f) managing administration functions such as receipt, scanning, data entry, storage and retrieval of information and documents in a centralised manner;
- (g) grievance redressal mechanism in the Centralised Communication Centre.

[Notification No. 12/2018/F.No. 370142/22/2017-TPL]

NIRAJ KUMAR, Under Secy.